न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 22/2013 शस्त्र अधिनियम
GCMS No. 2013/00016

अनवानी :— ओमप्रकाश पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी चक 1 के.एन.डी. ग्राम पंचायत ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

———अपीलान्ट

—बनाम—

राजस्थान सरकार।

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री ज्ञानसिंह अभिभाषक अपीलांट
श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ लोक अभियोजक राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 27.03.2024

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 04.07.2013, जिसके द्वारा अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता श्री मनीराम के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 249/84/DM/SGNR बना हुआ है, जिस पर 12 बोर बंदूक दर्ज है। अपीलांट ने अपने पिता के उक्त शस्त्र लाईसेंस को उत्तराधिकार में अपने नाम जारी करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 06.04.2010 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 689 दिनांक 30.06.2010 को प्रेषित की है। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2013 पारित कर अपीलांट के आवेदन पत्र दिनांक 06.04.2010 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2013 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।
3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी। अपील को मियाद में शुमार किया जाता है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के पिता श्री मन्नीराम के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 249/84/DM/SGNR दर्ज है, जिस पर 12 बोर बंदूक दर्ज है। अपीलांट के पिता के वृद्ध होने के कारण शस्त्र सार–संभाल में असमर्थ होने से अपीलांट ने दिनांक 06.04.2010 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र को अपीलांट के नाम दर्ज करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र के संबंध में वांछित जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर एवं सीआईडी (वि.शा.) ने अपनी रिपोर्ट में अपीलांट को उत्तम चरित्र का बताया एवं शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने की अनुशंषा भी की। अपीलांट के पक्ष में की गई अनुशंषा के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के उक्त आवेदन को दिनांक 04.07.2013 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पिता के उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र को उन्हें एक वर्ष के कारावास की सजा होने के कारण को आधार मानकर दिनांक 02.05.2013 को खारिज कर दिया। अपीलांट के पिता ने एक वर्ष के कारावास के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील पेश की हुई है, जो अभी विचाराधीन है। अपीलांट के उक्त आवेदन पत्र को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर एवं सीआईडी (वि.शा.) की अनुशंषा को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो कतई न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें।

5. विद्वान लोक अभियोजक ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट के पिता को एक प्रकरण में एक वर्ष के कारावास की सजा हो जाने के कारण उनके नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 249/84/DM/SGNR को दिनांक 02.05.2013 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2013 पारित करते हुए अपीलांट के आवेदन पत्र को अपीलांट के पिता के नाम से दर्ज शस्त्र अनुज्ञा पत्र के निरस्त हो जाने का कारण बताकर खारिज कर दिया, जो उचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुए अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट के आवेदन पत्र को खारिज कर दिया। अपीलाधीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र अपीलांट के पिता के नाम से जारी था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अनुज्ञापत्रधारी के किसी प्रकरण में एक वर्ष के कारावास की सजा होने के कारण अपने आदेश

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 02.05.2013 द्वारा निरस्त कर दिया, ऐसी स्थिति में अपीलांट के पिता के नाम से जारी उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र अपीलांट के नाम जारी किया जाना उचित नहीं है। हम अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2013 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

7. तदानुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय दिनांक 27.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/3/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर